कोर्ट केस/अति महत्वपूर्ण

संख्या-2/2019/ 32/एक-12-2019-रा0-12

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-12 लखनऊः दिनांकः 29 जनवरी, 2019

विषयः- मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित वादों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अनुश्रवण प्रकोष्ठ (न्याय) के शासनादेश संख्या-7/2018/510/सात- न्याय-अनु0प्रको0/2018, दिनांक 25-09-2018 जो आपको भी पृष्ठांकित है, के प्रस्तर-4(3) के अन्तर्गत प्रावधान है कि ''जिन रिट याचिकाओं में शासन के प्रशासकीय विभाग केवल प्रोफार्मा पार्टी/रिमोट पार्टी है, उनके संबंध में नेरेटिव पर प्रशासकीय विभाग के किसी समूह-क स्तर के अधिकारी द्वारा न्याय विभाग द्वारा पूर्व से तैयार किये गये स्टैन्डर्ड फार्मेट के अनुसार इस आशय का प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाय कि प्रश्नगत रिट याचिका में कार्यवाही से विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष संबंधित है, उनके स्तर से प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाय'' का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में राजस्व विभाग से संबंधित रिट याचिकाओं की संख्या नित्यप्रति बढ़ती जा रही है। इस स्थिति में जिन रिट याचिकाओं में शासन के प्रशासकीय विभाग जो केवल प्रोफार्मा पार्टी/रिमोट पार्टी है, के स्तर से लघु शपथ-पत्र तैयार कराने में अधिक समय लग जाता है, जिस कारण प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने में विलम्ब होता है। अतएव सम्यक विचारोपरान्त न्याय विभाग के उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 25-09-2018 के प्रस्तर-4(3) में दी गयी व्यवस्था के अनुक्रम में राजस्व विभाग से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

shasanadesh.up.nic.in

संबंधित लम्बित वादों/याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में प्रदेश के मण्डलायुक्तों को शासन की ओर से प्रोफार्मा पार्टी/रिमोट पार्टी होने संबंधी लघु शपथ-पत्र दाखिल किये जाने हेतु एतद्वारा नामित किया जाता है।

3- कृपया इस संबंध में समस्त संबंधितों को आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत करते हुए मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित वादों/याचिकाओं में समयान्तर्गत प्रतिशपथ पत्र दाखिल कराकर कृत कार्यवाही की अद्यतन मासिक रिपोर्ट शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-2/2019/32(1)/एक-12-2019, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी विभाग, उ0प्र0शासन।
2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
3- समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनुसचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0शासन।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0शासन।
5- समस्त अनुभाग, राजस्व विभाग, उ0प्र0शासन।

आज्ञा से,

जय प्रकाश तिवारी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

shasanadesh.up.nic.in